



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 01 सितम्बर, 2024

थाना कोतवाली देहात

लूट/चोरी की योजना बनाते 02 शातिर मोबाइल लुटेरे/चोर गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी किया गये 05 मोबाइल फोन व अवैध असलहा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 01-09-2024 को थाना कोतवाली देहा पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम की सहायता से मानकपुर बम्बे की पुलिय के पास से 02 शातिर मोबाइल लुटेरे/चोरो को लूट/चोरी किया गये 05 मोबाइल व अवैध असलहा, कारतूस व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहातर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. नाईस उर्फ नाईफ आसिफ अंसारी पुत्र मौहम्मद आसिफ अंसारी मौ0 सरायधारी मदीना मस्जिद वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. रिहान उर्फ काली पुत्र जहीर निवासी उपरोक्त

बरामदगी-

1. 05 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनि (लूट/चोरी किये गये)
2. 01 तमंचे मय 01 जिन्दा कारतूस
3. 01 अवैध छूरी
4. 01 मोटरसाइकिल नं0- UP-13AN-3983(घटना मे प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिनांक 12.07.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बंगला पुठरी स्याना रोड से ई-रिक्शा में बैठी एक महिला से 02 मोबाइल फोन छीनने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 525/24 धारा 304,317(2) बीएनएस पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अन्य 03 मोबाइल फोन को भिन्न-भिन्न स्थानों से छीनने/चोरी करने की स्वीकारोक्ति की गयी है। जिन्हें ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त नाईस उर्फ नाईफ अंसारी का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं- 569/24 धारा 303(2),317 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं- 573/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 3- मुअसं- 558/24 धारा 304,317 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 4- मुअसं- 525/24 धारा 304,317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
- 5- मुअसं- 528/24 धारा 112,313,317(2) बीएनएस 3/4/25 आर्म्स एक्ट जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त रिहान उर्फ काली का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 394/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 525/24 धारा 304,317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 558/24 धारा 112,313,317(2), बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
2. उ०नि० मौ० शारिक बेग, उ०नि० नरेन्द्र सिंह
3. है०का० शीतल देव, का० श्याम सुन्दर, का० गौरव राणा, का० राजकुमार, का० रोहित

सर्विलांस टीम-

1. श्री सुधीर मलिक प्रभारी सर्विलांस सैल
2. का० सोहनवीर खोखर



मीडिया सेल, बुलंदशहर